राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार– 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्री भंवरलाल कांसोटिया, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख आदेश
4/2017 प्रार्थना पत्र	13.01.2017	03.05.2018

बाबूलाल पिता जगदीश कुमावत निवासी बड़ला तह0 फूलियाकलां

——— प्रार्थी

बनाम

1– हीरा पिता बगतावर कुमावत नि0 बड़ला तह0 फूलियाकलां
2– तहसीलदार, फूलियाकलां

——— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0ए0

उपस्थित :–

श्री राजेश वर्मा – अभिभाषक प्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (ए) आर0टी0ए0 विरूद्व विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :– ग्राम बड़ला प0ह0 बड़ला तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की आ0न0 486 रकबा 0.53 है0 होकर वर्षो से कब्जे मे होकर उपयोग उपभोग मे चली आ रही है। इस आराजी के बदिशा दक्षिण की ओर आ0न0 463 रकबा 0.13 है0 स्थित है जो विपक्षी संख्या 01 के नाम खातेदारी से दर्ज रेकार्ड है इस आराजी से लगी हुई दक्षिण की ओर आ0न0 461 रकबा 0.80 है0 होकर बिलानाम गै0मु0 रास्ता दर्ज रेकार्ड है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी की आराजी पर आने जाने हेतु कोई अन्य रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुये आराजी नं0 463 के पश्चिम मे 10 फिट की चौड़ाई के रास्ते की भूमि की डी0एल0सी0 दर से राशि जमा कराने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी नं0 1 दिनांक 29.09.2017 को बावजूद सम्मन तामील उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रकरण मे तहसीलदार को रेकार्ड एवं मौका रिपोर्ट यदि वैकल्पिक रास्ता नही हो तो नियमानुसार प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 03.05.2018 को केम्प बांसेड़ा पर प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये।

मौके पर जाने का रास्ता दर्ज रेकार्ड नही है। उपस्थित मौतबीरान के बताया कि 7 – 8 वर्ष पहले बिलानाम रास्ता 461 मे से होकर विपक्षी नं0 1 की आराजी 463 मे होकर अपनी आराजी मे आता जाता था जिसको विपक्षी ने बन्द कर दिया है। साथ ही तहसीलदार द्वारा बताया कि विपक्षी नं0 1 की आराजी नम्बर 463 रकबा 0.13 है0 मे से 76 X 4 = 304 वर्गमीटर भूमि प्रार्थी को रास्ता उपयोग हेतु दी जा सकती है। प्रकरण एवं प्रस्तुत राजस्व अभिलेख व मौका रिपोर्ट तहसीलदार फूलियाकलां का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0ए0 स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बड़ला पटवार हल्का बड़ला तहसील फूलियकलां मे स्थित आ0न0 486 रकबा 0.53 है0 मे आने जाने हेतु विपक्षी नं0 1 हीरा पिता बगतावर कुमावत नि0 बड़ला के खातेदारी अधिकार की आ0न0 463 रकबा 0.13 है0 मे से 76 X 4 = 304 वर्गमीटर भूमि प्रार्थी द्वारा वर्तमान मे प्रचलित डी0एल0सी0 दर की दुगुनी राशि जमा कराये जाने एवं उक्त राशि अप्रार्थी संख्या 1 को भुगतान किये जाने के पश्चात् उपरोक्त भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप मे दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार, फूलियाकला को दिये जाते है। नजरी नक्शा प्रमाणित प्रति निर्णय का हिस्सा रहेगा।

आदेश आज दिनांक 03.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार– 2018 अटल सेवा केन्द्र बांसेड़ा पर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भंवरलाल कांसोटिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
फूलिया कलाँ,जिला–भीलवाड़ा

रिपोर्ट- पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक, दिनांक 3:

प्रकरण सं. क्रमांक/उ.म.4/2017 अन्तर्गत धारा 251 रा. भू. रा. अ. [illegible]
श्री कुन्दन लाल पिo [illegible] कुमावत [illegible] बनाम [illegible]
[illegible] कुमावत [illegible]

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि [illegible] प्रकरण में स्पॉट [illegible] मौका [illegible]
मौकानुसार निम्न रिपोर्ट पेश है

(1) वादि के स्वामित्व के ख.न. 486 रकबा 0.53 हेक्टेयर पर मौके पर
भूमि का रास्ता रिकॉर्ड में नहीं है जो सही है वादी ख.न. 486 के
लिए प्रतिवादी के ख.न. 463 रकबा 0.13 हेक्टेयर में से
76×4=304 वर्ग मीटर ख.न. 463 के पश्चिम की तरफ की मेड पर
रास्ता जाता है वादी व [illegible] की तरफ ख.न. 461 गै.मु. बिलानाम से होकर
निकलता है परन्तु प्रतिवादी ने अभी (वर्तमान) में बन्द कर दिया है।

(2) प्रतिवादी के बताए अनुसार वादी [illegible] गै.मु. सड़क के ख.न. 79
बिलानाम से स्वयं के खातेदारी 482 की खातेदारी रिकार्ड दर्ज है उसमें
होकर ख.न. 485 रकबा 0.15 हेक्टेयर लाडा पत्नी रूपलाल कुमावत सा.
[illegible] की खातेदारी रिकार्ड दर्ज भूमि में से होकर स्वयं के खातेदारी भूमि
486 में उपयोग करता था जो [illegible] से नहीं निकलना चाहता है
इसमें वादी को 20×4=80 वर्ग मीटर जगह देने पर ही 486 में
उपयोग कर सकता है, परन्तु वादी ने लाडी पत्नी रूपलाल कुमावत
को वाद में प्रतिवादी नहीं बनाया है
अतः [illegible] सो रिपोर्ट तैयार कर श्रीमान की सेवा में
पेश है

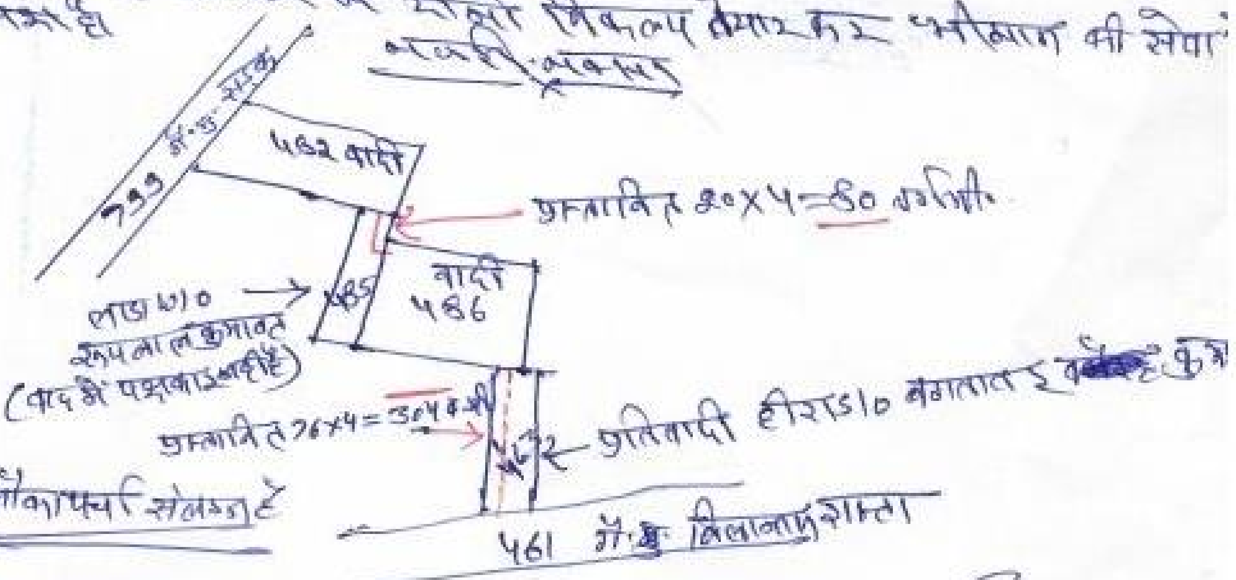

मौका पर्चा संलग्न है